रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 839] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2000/पौष 5, 1922
No. 839] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2000/PAUSA 5, 1922

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2000

का.आ. 1158(अ).—भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) द्वारा, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 15(अ) तारीख 1 जनवरी, 1996 के अधीन तकनीकी श्रेणी बैनजीन हैक्साक्लोराइड (बी एच सी) के विनिर्माण और उपयोग पर तारीख 31 मार्च, 1997 से पाबंदी लगाते हुए अधिसूचना जारी की गई थी;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, डा. अशोक बनाम भारत संघ के मामले, 1997 की रिट याचिका (सि) सं. 2 और 3 के साथ 1989 की रिट याचिका (सि) सं. 1894 में उक्त अधिसूचना इस आधार पर विखंडित कर दी थी कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 में एक कमी थी जिसके कारण धारा 3(ङ)(i) में अनुध्यात किए गए रूप में जब कोई वस्तु अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है तब किसी को, उसी वस्तु की बाबत जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है चाहे वैज्ञानिक अध्ययन पर यह प्रकट होता हो कि प्रश्नगत वस्तु मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकर है;

और, कीटनाशी (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का 23) अधिनियमित हो गया है जिसके द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 27 की उपधारा (1) उक्त कमी को दूर करते हुए, परिशोधित की गई है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया था, रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि तकनीकी श्रेणी बैनजीन हैक्साक्लोराइड (बी एच सी) से मानवजाति और पशुओं को जोखिम कारित होना संभाव्य है, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

(1) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बैनजीन हैक्साक्लोराइड (बी एच सी) तकनीकी के विनिमार्ण, वितरण, परिवहन और उपयोग पर पूर्ण पाबंदी होगी।

(2) बैनजीन हैक्साक्लोराइड (बी एच सी) तकनीकी के उत्पादन के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण या विनिर्माण करने की अनुज्ञप्ति पर पाबंदी होगी।

(3) बैनजीन हैक्साक्लोराइड (बी एच सी) तकनीकी के विभिन्न रजिस्टर किए गए व्यक्तियों को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए जारी की गई विनिर्माण अनुज्ञप्तियां उक्त फर्मों या व्यक्तियों की बाबत रद्द हो जाएंगी।

(4) ऐसे रजिस्टर किए गए व्यक्तियों की बाबत, बैनजीन हैक्साक्लोराइड (बी एच सी) तकनीकी के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जिन्हें अभी अपनी विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी है, रद्द किए जाएंगे।

(5) राज्य सरकारें, इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट आदेश कार्यान्वित करने के लिए उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे उपाय कर सकेंगी जो वे ठीक समझें।

[फा. सं. 19/6/99-पी. पी. I(खंड III)]
पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2000

S.O. 1158(E).— Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), a notification was issued by the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) vide number S.O. 15(E) dated, the 1st January, 1996, banning the manufacture and use of technical grade Benzene Hexachloride (BHC) with effect from 31st March, 1997;

And whereas, in the Writ Petition (C) No. 1094 of 1989 with (C) Nos. 2&3 of 1997 in the matter of Dr. Ashok Versus Union of India, Hon'ble Supreme Court struck down the said notification on the ground that there was a lacuna in the Insecticides Act, 1968 owing to which once a substance is specified in the Schedule as contemplated under section 3(e) (i) then, there is no power for cancelling the registration certificate issued in respect of the same substance even if on a scientific study it appears that the substance in question is grossly detrimental to the human health;

And whereas, the Insecticides (Amendment) Act, 2000 (23 of 2000) has been enacted which, *inter alia,* has amended sub-section (1) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 rectifying the said lacuna;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the said Act and in supersession of the said notification, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consultation with the Registration Committee, and on being satisfied that the use of technical grade Benzene Hexachloride (BHC) is likely to cause risk to human beings and animals, hereby makes the following order, namely:-

(1) The manufacture, distribution, transport and use of Benzene Hexachloride (BHC) technical shall be banned completely from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(2) There shall be a ban on new registration or manufacturing licenise for production of Benzene Hexachloride (BHC) technical.

(3) Manufacturing licenses issued to various registrants of Benzene Hexachloride (BHC) technical for setting up of manufacturing units shall be cancelled in repect of those firms or persons.

(4) The Certificate of Registration for Benzene Hexachloride (BHC) technical in respect of those registrants who are yet to obtain their manufacturing licenses shall be cancelled.

(5) The State Government may take such steps in their respective jurisdiction as they may deem fit for carrying out the orders contained in this notification.

[F. No. 19/6/99-P.P. I (Vol. III)]

P.D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054